

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220806 CG-DL-E-31072020-220806

### असाधारण EXTRAORDINARY

EXTRAORDINARI

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2266] No. 2266] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2560(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2020 है।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003, (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल आदेश कहा गया है) में, विद्यमान प्रपत्र '(ख)' के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात्:-

## "प्रपत्र-ख

# [पैरा 3 (4) देखें]

# चाय विनिर्माता के रूप में व्यवसाय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

अहस्त	7	रण	य

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3 (4) के अधीन जारी।
तारीख:
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या द्वाराके लिए श्री/सर्वश्री पताको चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के अधीन निर्मित चाय की वार्षिक स्थापित क्षमतालाख किलोग्राम के साथ निर्मित चाय (सीटीसी/ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन/व्हाइट टी/आदि) के विनिर्माता के रूप में व्यवसाय करने के लिए एतत् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
यह प्रमाणपत्र चाय (विपणन) नियंत्रण आ <b>देश</b> 2003, के पैरा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण  प्राधिकारी द्वारा निरस्त/निलंबित किए जाने तक वैध रहेगा।
उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" ।
3. मूल आदेश के प्रपत्र ठ में, ''500 किलोग्राम प्रतिदिन'' शब्दों के पश्चात, ''तथा निर्मित चाय की वार्षिक स्थापित क्षमताकिलोग्राम (सीटीसी/आर्थोडॉक्स/ग्रीन/व्हाइट टी आदि)'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । [फा. सं. के-57012 (13)/4/2020-बागान–क] दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव
टिप्पण :मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II , खण्ड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.सं. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :- (1) का.आ. 247 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003;
(2) का.आ. 430 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003;
(0) 07 070 (07) 07 07 0004

- (3) का.आ. 270 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004;
- (4) का.आ.1170 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2004;
- (5) का.आ.1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005;
- (6) का.आ.1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015;
- (7) का.आ. 2688 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2015;
- (8) का.आ. 3319 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2016;

- (9) का.आ. 21 (अ), तारीख 3 जनवरी, 2017; और
- (10) का.आ. 2288 (अ), तारीख 4 जून, 2018।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (DEPARTMENT OF COMMERCE)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

- **S.O.2560(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2020.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, (hereinafter referred to as the principal Order), for the existing Form 'B', the following Form shall be substituted, namely:-

#### "FORM - B

[See Paragraph 3(4)]

Certificate of registration for carrying on business as manufacturer of tea.

NOT transferable.

Issued under paragraph 3(4) of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Certificate of Registration No	for
Shri/Sarvshri	of
is/are hereby autho	
teas (CTC/Orthodox/green/white tea/etc.) under the provisions	of Tea (Marketing) Control Order, 2003 with an annual
installed capacity of Lakh kgs of made teas.	

Date:

This certificate shall continue to be valid until cancelled/suspended by the Registering Authority under paragraph 5 of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Deputy Chairman, Tea Board Registering Authority".

[F. No. K-57012(13)/4/2020-PLANT-A] DIWAKAR NATH MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 1(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 2003 and subsequently amended *vide* following notifications, namely:-

- (1) S.O. 247(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2003;
- (2) S.O. 430(E), dated 10<sup>th</sup> April, 2003;
- (3) S.O. 270(E), dated 27<sup>th</sup> February, 2004;
- (4) S.O. 1170(E), dated 20<sup>th</sup> October, 2004;
- (5) S.O. 1017(E), dated 15<sup>th</sup> July, 2005;
- (6) S.O. 1012(E), dated 15<sup>th</sup> April, 2015;
- (7) S.O. 2688(E), dated 1<sup>st</sup> October, 2015;
- (8) S.O. 3319(E), dated 25<sup>th</sup> October, 2016;
- (9) S.O. 21(E), dated 3<sup>rd</sup> January, 2017; and
- (10) S.O. 2288(E), dated 4<sup>th</sup> June, 2018.